



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

30 ज्येष्ठ, 1947 (श०)

संख्या - 278 राँची, शुक्रवार,

20 जून, 2025 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

11 जून, 2025

संख्या-8/नियमावली/105/2016/न०वि० 1978--झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (झारखंड अधिनियम 07, 2012) की धारा-590 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा राज्य के सभी शहरी स्थानीय निकायों में संवेदकों के निबंधन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ

- संक्षिप्त नाम:- यह नियमावली 'झारखण्ड नगरपालिका संवेदक निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2025' कही जायेगी।
- विस्तार:- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- प्रभाव की तिथि:- यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. 'झारखण्ड नगरपालिका संवेदक निबंधन नियमावली, 2016' में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:-
नियमावली के नियम 5.1.3 को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-

नियम 5.1.3 – “झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017) के अन्तर्गत निबंधित जी०एस०टी० प्रमाण-पत्र (GST Registration Certificate) की स्वप्रमाणित छायाप्रति।”

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुनील कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव ।
